2017/00532

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री गोविन्दनारायण पुत्र विश्वनाथ किराडू निवासी कोठारी अस्पताल के सामने की गली, हरिओम मेंडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 262/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

13.12.17

1. पत्रावली पेश हुई। ना तो अपीलार्थी उपस्थित है एवं ना ही रेस्पोडेन्ट की तरफ से कोई उपस्थित है।

2. अपीलार्थी ने अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा प्रत्यर्थी से आवेदन–पत्र दिनांक 04.9.17 में वर्णित सूचना चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो स्वीकार फरमाई जा कर वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा पूर्व पेशी पर जवाब प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को पत्र संख्या 2430 दिनांक 13.11.17 से सूचना भिजवाई जाचुकी है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावें।

4. अपीलार्थी को प्रेषित जवाब का ना तो कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ व ना ही किसी प्रकार की आपति प्रस्तुत हुई है, तथा ना ही अपीलार्थी नियत पेशी पर उपस्थित आये हैं।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा आवेदक/अपीलान्ट को प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलान्ट की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 13.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर